उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1
संख्या–U0-53/60–1–16–1/13(103)/16
लखनऊः दिनांक 04 जनवरी, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–105 की उपधारा–1, 2 एवं 3 के द्वारा बालकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए एक निधि का सृजन किये जाने के निर्देश हैं। उक्त प्रयोजन से उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नाम से पूर्व सृजित निधि से संबंधित उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 को संशोधित करते हुये अधिसूचना संख्या–1491/60–3–16–62(सा0)/16, दिनांक 21.12.2016 के रूप में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली (पंचम संशोधन) का प्रख्यापन किया जा चुका है। इस प्रकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–105 की उपधारा–1, 2 एवं 3 की अपेक्षानुसार इस निधि का प्रयोग बालको के कल्याण एवं पुर्नवासन के लिए भी किया जायेगा।

02/1/17
(रेणुका कुमार),
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में प्रेषित :–

1. महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. मा0 अध्यक्ष किशोर न्याय समिति, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सदस्य सचिव, उ0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
14. निदेशक, एन0आई0सी0 लखनऊ।
15. विहित प्राधिकारी, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, लखनऊ।
16. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय तथा कोष की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. उप निदेशक, (प्रभारी), राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश के गजट के आगामी संस्करण में प्रकाशनार्थ, इस अनुरोध सहित कि इस नियमावली की 1000 मुद्रित प्रतियां महिला कल्याण अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायें।

04/1/17
(रेणुका कुमार)
प्रमख सचिव